न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 604/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती धापीदेवी पत्नी स्व0 पुखराज गौड निवासी उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व0 पुखराम पत्नी रामनिवास गौड जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम उदलियावास तहसील बिलाडा हाल निवासी रांकावत भवन, बलदेव नगर, गांधीजी की मूर्ति के पास, मसूरिया जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर 3– सरपंच ग्राम पंचायत उदलियावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–7–2017 जिसे न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा केम्प कोर्ट कालानाऊ द्वारा राजस्व अपील संख्या 8/2017 अनवान श्रीमती शांतिदेवी बनाम धापीदेवी वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ओ0पी0 राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा के नामांतरकरण सख्या 1249 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त नामांतरकरण संख्या 1249 मे वर्णित खसरा नंबरान की कुल 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि मे से 1/2 हिस्से के खातेदार पुखराज वल्द नेनाराम जाति ब्राह्मण सा0 देह थे । उक्त खातेदार पुखराज के फोत हा जाने पर उसके 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण उसके एकमात्र जायन्दा वारिश धापी पत्नी पुखराज का भरकर स्वीकृत कर दिया जबकि स्व0 खातेदार पुखराजजी के विधिक वारिसान मे उनकी पत्नी धापी के अलावा अन्य चार पुत्रियां क्रमशः कमला, मीरा, शांति एवं सपना भी थी जिनका भी उक्त खातेदारी भूमि मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार बराबर का हक होते हुए उन्हे वंचित रखते हुए स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 1249 को निरस्त कर स्व0 पुखराज के समस्त विधिक वारिसान की जांच करके विधि अनुसार म्युटेशन दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उक्त नामांतरकरण संख्या 1249 निरस्त कर प्रकरण

तहसीलदार बिलाडा को स्व0 पुखराज के विधिक वारिसानो की जांच कर उनसे दस्तावेजो को तलब कर विवादित भूमि के संबंध मे नये सिरे से म्युटेशन पारित करने बाबत आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 14–7–2017 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1249 स्वीकृति के लंबे अंतराल बाद अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब का कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही किया केवल यह उल्लेख किया कि प्रार्थिनी को कानून की जानकारी नही थी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये जवाब मे भी इस संबंध मे आपत्ति प्रकट की थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1249 मे वर्णित भूमि मृत खातेदार पुखराजजी की स्वअर्जित सम्पति थी जिसे उन्होने अनराज व जेवतराज पि0पाबूदान जाति ब्राह्मण से दिनांक 23–6–1966 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की थी इसलिए नामांतरकरण मे वर्णित विवादित कृषि भूमि स्व0 पुखराज पुत्र नेनाराम की स्वअर्जित सम्पति थी जिसे पुखराजजी ने अपने जीवनकाल मे अपनी पत्नी धापीदेवी, अपने दोहिते अशोक कुमार व पुत्री सपना के हक मे पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित कर दिया था जिनमे से सपना लाऔलाद फोत हो चुकी थी तथा उसके पति का भी देहांत हो जाने से सपना की उतराधिकारी उसकी माता धापीदेवी ही है तथा अशोक कुमार को उक्त म्युटेशन स्वीकृति मे कोई एतराज नही होने से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1249 विधिवत स्वीकृत हुआ था इसलिए ऐसी दशा मे उतराधिकार बाबत कोई मामला नही बनता है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब के साथ पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि स्व0 खातेदार पुखराज की खरीदसुदा एवं स्वअर्जित भूमि थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय बिना रेकर्ड के अवलोकन किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उतराधिकार के आधार पर नामांतरकरण वहां दर्ज किया जाता है जहां अन्तरण का कोई दस्तावेज विद्यमान न हो या खातेदार निर्वसीयत मर गया हो तो ऐसी स्थिति मे नामांतरकरण मृतक के उतराधिकारियो की जांच करने के उपरांत दर्ज किया जाता है परंतु वर्तमान मामले मे अपीलाधीन भूमि मृत खातेदार पुखराज की खरीदसुदा स्वअर्जित खातेदारी की कृषि भूमि थी तथा स्व0 पुखराज ने अपने जीवनकाल मे अपीलार्थियां के

पक्ष मे एक पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित किया था तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा एवं पंजीबद्ध बक्शीशनामे के दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर होते हुए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1249 निरस्त कर मृतक खातेदार पुखराज के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1249 मे वर्णित मृतक खातेदार पुखराज के 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान हो चुका है तथा रेस्पो0गण के पास अपीलाधीन भूमि का कब्जा नही होने से रेस्पो0 की ओर से उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के न्यायालय मे वर्ष 2017 मे एक ही दिन म्युटेशन अपील तथा कब्जे के लिए धारा 88 आर.टी.एक्ट का वाद दायर किया था इसलिए कब्जे के अभाव मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2017 मे समस्त विधिक वारिसान की जांच के स्थान पर अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध बक्शीशनामें के आधार पर म्युटेशन दर्ज करने के निर्देश के साथ प्रकरण को तहसीलदार बिलाडा को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार पुखराज की जायदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है इसलिए पिता के फौत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिये परंतु अपीलाधीन फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 1249 केवल पत्नी धापूदेवी वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया जो विधिविरूद्ध होने से उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील पर जो निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन मे 2012 डी.एन.जे. सु.को. पेज 89, आर.आर.डी. 2001 पेज 264, आर.आर.डी. 2004 पेज 336, आर.आर.डी. 1991 पेज 197, आर.आर.डी. 1990 पेज 477, आर.आर.डी. 1994 पेज 77, आर.बी.जे. 1996 (3) पेज 464 एवं 2013 (2) आर.आर. टी. पेज 1284 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मृत खातेदार पुखराज की खरीदसुदा तथा स्वअर्जित सम्पति होने से उसके द्वारा वर्तमान अपीलार्थियां, एक पुत्री सपना एव दोहिते अशोक कुमार के पक्ष मे पंजीबद्ध बक्शीशनामा उनके जीवनकाल मे निष्पादित कर दिया था तथा उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड से सिद्ध हो चुके थे तो पंजीबद्ध बक्शीशनामे के दस्तावेज के अस्तित्व मे रहते मृतक के अन्य विधिक वारिसान को उक्त भूमि मे विरासत के आधार पर किसी प्रकार का अधिकार हासिल नही हो सकते है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, वर्तमान अपीलार्थियां धापीदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये जवाब एवं उसके साथ मृतक खातेदार पुखराजजी के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि बाबत निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा एवं अपीलांट के पक्ष मे स्व0 खातेदार पुखराजजी द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बक्शीशनामे का दस्तावेज, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1249 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2017 आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात मे नामांतरकरण संख्या 1249 ग्राम कालाउना मे वर्णित खसरा नंबरान क्रमशः 980 रकबा 30.04 बीघा, खसरा नंबर 979 रकबा 0.18 बिस्वा, खसरा नंबर 1090/580 रकबा 0.10 बिस्वा कुल आराजी 31 बीघा 12 बिस्वा मे से 1/2 हिस्से की भूमि खातेदार पुखराज वल्द नेनाराम जाति ब्राह्मण ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये दिनांक 23–6–1966 को खरीद की थी, जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख रेकर्ड पर उपलब्ध था ऐसे मे अपीलाधीन उक्त खरीदसुदा भूमि खातेदार पुखराजजी की स्वअर्जित सम्पति थी ऐसे मे उन्हे अपनी खरीदसुदा भूमि के बक्शीश करने का पूर्ण अधिकार था तथा इन्ही अधिकारो का प्रयोग करते हुए खातेदार पुखराज ने अपने जीवनकाल मे ही नामांतरकरण संख्या 1249 ग्राम कालाउना मे वर्णित अपने 1/2 हिस्से की उनकी खरीदसुदा भूमि का उल्लेख करते हुए पंजीबद्ध बक्शीशनामा उनकी पत्नी धापीदेवी (वर्तमान अपीलाट) दोहिते अशोक कुमार व एक पुत्री सपना के हक मे दिनांक 24–1–83 निष्पादित कर दिया था, उक्त बक्शीशनामा दिनांक 25–1–83 को उप पंजीयन कार्यालय से बिलाडा मे पंजीबद्धसुदा है तथा उक्त दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध होते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार पुखराज की अन्य एक पुत्री श्रीमती शांतिदेवी (वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1) द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1249 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को स्व0 पुखराज के विधिक वारिसानो की जांच कर नये सिरे से म्युटेशन पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

वर्तमान अपील मे स्व0 खातेदार ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी खरीदसुदा खातेदारी भूमि के संबंध मे पंजीबद्ध बक्शीशनामा निष्पादित कर दिया था ऐसे मे पंजीबद्ध बक्शीशनामे के दस्तावेज को जब तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा दिया जाता है तब तक अपीलाधीन भूमि मे उतराधिकार के आधार पर मृतक के अन्य वारिसान को किसी प्रकार के अधिकार हासिल नही हो सकते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–7–2017 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को मृतक खातेदार पुखराज द्वारा अपीलांट एवं अन्य के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बक्शीशनामे के दस्तावेज को यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया हो तो

उसकी जांच कर पंजीबद्ध बक्शीशनामे के आधार पर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 19–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर